स्पीड पोस्ट

राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर

W-6 ,गौरव पथ, रेजीडेन्सी रोड़, जोधपुर (राज.) फोन 0291–2432290 / 2434272 फैक्स न0 2632329
Visit us: www.dte.rajasthan.gov.in e-mail : dte.trg.raj@gmail.com

क्रमांकः प.सं.7(11) / प्रवेश / प्र–1 / 1001 / 2015–16 / 20734 दिनांकः– 30/11/2015

प्रधानाचार्य / अधीक्षक
राजकीय / निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
समस्त।

विषयः–आई.टी.आई प्रशिक्षण एवं मुख्यधारा की शिक्षा के मध्य समकक्षता बाबत।
संदर्भः–शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 04.05.2015 एवं 12.10.2015 तथा शासन सचिव, कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग राज.जयपुर के पत्रांक 166 दिनांक 16.10.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा कौशल प्रशिक्षण को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने के क्रम में आई.टी.आई. कार्यक्रमो को कक्षा दसवीं अथवा 12 वीं के साथ समकक्षता प्रदान करने का निर्णय लिया गया हैं।

आई.टी.आई. प्रशिक्षणार्थियों को इसकी जानकारी एवं प्रोत्साहित करने तथा इस अवसर का लाभ उठाकर अतिरिक्त स्कूल शिक्षा का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये इस हेतु शिक्षा विभाग द्वारा संदर्भित परिपत्र जारी किये गये है, की प्रतियॉ संलग्न कर निर्देशित किया जाता है, कि उक्त आदेशों को आई.टी.आई. भवन के अन्दर एक बोर्ड पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जावे।

शिक्षा विभाग के इन आदेशों का बिन्दुवार विवरण बुलेट पाइंट बनाकर बोर्ड पर प्रदर्शित किये जावें।

इस कार्य को प्रधानाचार्य / अधीक्षक व्यक्तिशः क्रियान्वित करेंगे तथा इसकी पालना से दिनांक 04.12.15 तक आवश्यक रूप से अपने क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करेगें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय

निदेशक (प्रशिक्षण)

क्रमांकः प.सं.7(11) / प्रवेश / प्र–1 / 1001 / 2015–16 / समसंख्यक दिनांकः– 30/11/2015

प्रतिलिपिः–उपनिदेशक क्षेत्रीय कार्यालय, प्राविधिक शिक्षा, अजमेर / बीकानेर / जयपुर / जोधपुर / उदयपुर व कोटा को भेजकर लेख है कि अपने स्तर पर इस कार्य की पालना सुनिश्चित करवा कर संकलित सूचना निदेशालय को दिनांक 10.12.2015 तक आवश्यक रूप से भिजवावे, ताकि राज्य सरकार को अवगत करवाया जा सकें।

उप निदेशक (प्रशिक्षण)

कौशल प्रशिक्षण के संबलन के लिए तथा कौशल प्रशिक्षण एवं उच्चतर शिक्षा के मध्य अन्तराल को मिटाने के लिए राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों को कक्षा 10वीं एवं 12वीं के साथ निम्नानुसार समकक्षता प्रदान करने का निर्णय लिया है:–

कक्षा 10 की समकक्षता हेतु:–

- कक्षा–आठवीं उत्तीर्ण करने के पश्चात दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल काउन्सिल फॉर वैकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश लेने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् विद्यार्थी यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान/राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से कक्षा 10 के लिये निर्धारित कोर्स अनुसार **अंग्रेजी व हिन्दी** विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते है तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 10वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।
- उपरोक्त दोनों विषय हिन्दी व अंग्रेजी की परीक्षा तथा आईटीआई की परीक्षा सम्मिलित रूप से उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही कक्षा–10वीं के समकक्ष उत्तीर्ण माना जायेगा। यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी जब हिन्दी व अंग्रेजी की परीक्षा एक ही वर्ष में तथा आईटीआई के उत्तीर्ण वर्ष के साथ अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की है।
- आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात (NCVT) नेशनल काउन्सिल फॉर वैकेशनल ट्रेनिंग के दो या दो अधिक वर्षो की मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण (आदेशों के पूर्व एवं पश्चात्) कर चुके विद्यार्थी, दसवीं की समकक्षता, हिन्दी व अंग्रेजी की परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेंगे।

कक्षा–12 की समकक्षता हेतु:–

- कक्षा दसवीं उत्तीर्ण होने के पश्चात् दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल काउन्सिल फॉर वैकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश लेने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् विद्यार्थी यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान/राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से बारहवीं के लिये निर्धारित कोर्स अनुसार अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते है तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश में प्रवेश हेतु बारहवीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।
- यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी जब अंग्रेजी व आईटीआई की परीक्षा के साथ एक ही वर्ष में उत्तीर्ण की हो। अथवा अंग्रेजी की परीक्षा आईटीआई करने के पश्चात उत्तीर्ण की हो।
- दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् (NCVT) नेशनल काउन्सिल फॉर वैकेशनल ट्रेनिंग के दो या दो अधिक वर्षो का मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण (आदेशों के पूर्व/पश्चात्) कर चुके विद्यार्थी, बारहवीं की समकक्षता, हिन्दी व अंग्रेजी की परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेंगे।
- **संकाय निर्धारण:–** सभी उक्त बिन्दुओं में वर्णित बारहवीं की समकक्षता प्राप्त करने पर विद्यार्थी को विज्ञान संकाय का विद्यार्थी माना जायेगा।

Office
Rajasthan Skill & Livelihoods Development Corporation
Letter Receipt No. 6604
Receipt Date 5/11/15

आवक-क्र. 25357
10-11-15

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांकः-प.3(2)शिक्षा-6 / 2015

जयपुर, दिनांकः-12.10.2015

आदेश

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) तथा पॉलीटेक्नीक कॉलेज से दो या दो से अधिक वर्षो में मान्यता प्राप्त कोर्सेज में प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित करने, संकाय तथा प्रभावी निर्धारण के क्रम में विभाग द्वारा जारी पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 04.05.2015 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:--

1. कक्षा-10 की समकक्षता हेतु -
   1. कक्षा-आठवीं उत्तीर्ण करने के पश्चात दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल काउन्सिल फॉर वैकेशनल ट्रेनिंग (NCVT)से मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश लेने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात विद्यार्थी यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान/राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से कक्षा-10 के लिये निर्धारित कोर्स अनुसार अंग्रेजी व हिन्दी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते है तो उन्हे आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 10वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।
   2. उपरोक्त दोनो विषय हिन्दी व अंग्रेजी की परीक्षा तथा आईटीआई की परीक्षा सम्मिलित रूप से उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही कक्षा-10वीं के समकक्ष उत्तीर्ण माना जायेगा। यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी जब हिन्दी व अंग्रेजी की परीक्षा एक ही वर्ष में तथा आईटीआई के उत्तीर्ण वर्ष के साथ अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की है।
   3. आठवी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात (NCVT) नेशनल काउन्सिल फॉर वैकेशनल ट्रेनिंग के दो या दो से अधिक वर्षो का मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण (आदेशो के पूर्व एवं पश्चात)कर चुके विद्यार्थी, दसवीं की समकक्षता, हिन्दी व अंग्रेजी की परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेंगे।
2. कक्षा-12 की समकक्षता हेतु -
   1. कक्षा-दसवी उत्तीर्ण होने के पश्चात दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल काउन्सिल फॉर वैकेशनल ट्रेनिंग(NCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश लेने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात विद्यार्थी यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान/राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से बारहवी के लिये निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते है तो उन्हे आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु बारहवी उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।
   2. यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी, जब अंग्रेजी व आईटीआई की परीक्षा के साथ एक ही वर्ष मे उत्तीर्ण की हो। अथवा अंग्रेजी की परीक्षा आईटीआई करने के पश्चात उत्तीर्ण की हो।
   3. दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात (NCVT)नेशनल काउन्सिल फॉर वैकेशनल ट्रेनिंग के दो या दो से अधिक वर्षो का मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण (आदेशो से पूर्व/पश्चात) कर चुके विद्यार्थी बारहवीं की समकक्षता हिन्दी व अंग्रेजी की परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेंगे।
   4. दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात तथा किसी मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्नीक कॉलेज से तीन वर्ष का ऑल इण्डिया काउन्सिल फोर टैक्नीकल एजुकेशन(एआईसीटीई) से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने पर उन्हे आगे शिक्षा में प्रवेश हेतु कक्षा बारहवी उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।

D(T)

T-ICTS
6/11/15

3. संकाय निर्धारण :—बिन्दु संख्या 2 के सभी उक्त बिन्दुओं में वर्णित बारहवीं की समकक्षता प्राप्त करने पर विद्यार्थी को विज्ञान संकाय का विद्यार्थी माना जायेगा।

(अशोक कुमार गुप्ता)
वरिष्ठ उप शासन सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सचिव, मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत एवं उच्च शिक्षामंत्री राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री, राजस्थान।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार,नई दिल्ली।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग, राजस्थान।
10. प्रबंध निदेशक, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, जयपुर।
11. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
12. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर।
13. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, जोधपुर।
14. निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर।
15. सचिव, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर / सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर द्वारा दसवीं व बारहवीं की समकक्षता प्रदान करने हेतु विद्यार्थी के आवेदन करने की प्रकिया, फीस, परीक्षा आयोजन, मूल्यांकन प्रमाण पत्र तथा प्रमाणीकरण आदि के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे। उक्त जारी दिशा निर्देशों की प्रति निदेशक, तकनीकी शिक्षा / निदेशक प्रशिक्षण (आईटीआई) राजस्थान जोधपुर को भी प्रेषित की जावें।
16. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप—2) विभाग, राजस्थान।
17. अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
18. उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप—1) विभाग, राजस्थान।
19. उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप—6) विभाग, राजस्थान।

वरिष्ठ उप शासन सचिव

Government of Rajasthan
Department of Skills, Employment and Entrepreneurship

No.: PS/Secy/DSEE/2015/166 Jaipur, dated: 16-10-2015

Commissioner,
Skills, Employment and Entrepreneurship Department
(DSEE),
Jaipur.

Sub: Equivalence between mainstream education and formal training in ITIs.

In compliance with the Budget Declaration 2015, the order regarding the procedure to be followed for achieving equivalence between mainstream education and formal training in ITIs; Education (Group-6) Department has issued the detailed order dated 12-10-2015, a copy of which enclosed.

Please ensure that, in every government ITI, the details of this order should be exhibited prominently on a specific board inside the ITI building, to inform and encourage the ITI trainees, to take benefits of the opportunity to earn additional school leaving certificate. The text of this order should be converted to simple bullet points for trainees.

The order should also be circulated among the NCVT-QCI affiliated private ITIs for necessary action, in the best interest of the trainees in their respective institutes.

A Cell may be created in the office of the Directorate of Training, Jodhpur to guide, trouble shoot and coordinate all activities related to the equivalence.

24965
27/10/15

Yours sincerely,

(Rajat Kumar Mishra)
Secretary to government